E-mail : bciinfo21@gmail.com
info@barcouncilofindia.org
Website www.barcouncilofindia.org

Tel. :(91) 011-4922 5000
Fax :(91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: 1107 /2024 (LE/App/Affln) 03.08.2024

1.	The Registrar, M.J.P Rohilkhand University, Bareilly – 243006 Uttar Pradesh
2.	The Principal, Gulshan Singh Memorial College of Law, Vill. & Post Bakaina, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional approval of affiliation to Gulshan Singh Memorial College of Law, Bijnor, Uttar Pradesh for imparting three year LL.B course with intake of one section of 60 students of 60 students for a period of one year i.e. for the academic year 2024-2025.

Sir/Ma'am,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation to **Gulshan Singh Memorial College of Law, Bijnor, Uttar Pradesh** which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2024-2025.

This is to bring to your kind knowledge that the following resolution was passed on 5th May, 2024 by the General Council of the Bar Council of India with respect to grant of provisional approval of affiliation, to existing Centers of Legal Education/Colleges, whose approval cum regular inspection fee has been deposited, application of extension of approval of affiliation is pending, but no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for the academic year 2024-2025.

"RESOLVED that with respect to existing Centers of Legal Education/Colleges, whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, such Centers of Legal Education/Colleges may continue to admit students only for the academic year 2024-2025.This will apply only in case where affiliation has been granted by the University. Such provisional approval shall be subject to any decision taken after the inspection of the CLE is done by the Bar Council of India subsequently.

Typed by: M.J
Fee & GA Checked: M.J

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्ब. / 2024 / 9145-50 दिनांक: 27.07.2024

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
गुलशन सिंह मैमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ,
चाँदपुर, बिजनौर।

विषयः संस्था गुलशन सिंह मैमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ, चाँदपुर, बिजनौर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकायान्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम / विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 27.07.2024 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में गुलशन सिंह मैमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ, चाँदपुर, बिजनौर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकायान्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम / विषय में सत्र 2024–25 से स्थायी सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कमियों / निम्न शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522 / सत्तर–2– 2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
03 संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य / प्रवक्ताओं की नियुक्ति / अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये, जिससे नवीन सत्र की कक्षायें अविलम्ब संचालित हो सके। संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि वह सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख / सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नही दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
06. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08 उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332 / सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्प रोधी होना चाहिए।
09. विधि पाठ्यक्रम में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से सीटों की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. वित्त अधिकारी।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
04. समन्वयक, ऑनलाइन प्रवेश / प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर सेन्टर।
05. निजी सचिव, कुलपति ।

कुलसचिव